HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15865/2026
CNR: RJHC020977042026 | URN: CRLMB / 29410U / 2026

Sandeep @ Suraj S/o Sauvaran Lal Rajbahadur, Aged About 21 Years, R/o Mohalla Ismailpur, Kasba Gursahayganj, District Kannauj, Uttar Pradesh. (At Present Confined In Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. J.K. Moolchandani
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

29/10/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना मालपुरा गेट, जिला जयपुर शहर पूर्व में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 337/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 281, 125(ए), 105 भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 134, 187, 184 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त पर यह आक्षेप है कि उसने लापरवाहीपूर्वक कार चलाकर परिवादी के भाई की मोटरसाईकिल को टक्कर मारी, जिससे परिवादी के भाई विष्णु व उसकी तीन वर्ष की भतीजी सृष्टि और उसकी भाभी के चोटें कारित हुई, जिसकी वजह से परिवादी के भाई और भतीजी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उनका तर्क है कि मामला सड़क दुर्घटना से संबंधित है। प्रकरण में आरोप–पत्र प्रस्तुत हो चुका है। उनका तर्क है कि प्रार्थी के विरुद्ध शराब पीकर वाहन चलाने की कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। उनका तर्क है कि

प्रार्थी के साथ कार में बैठे अन्य दोनों व्यक्तियों को जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 10.08.2026 से अभिरक्षा में है। उसके विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त ही घटना के समय उक्त वाहन चला रहा था। उनका तर्क है कि उसी दिन इस वाहन से तीन–चार घटनाएं कारित की गई हैं। उनका तर्क है कि प्रकरण में संलिप्त अन्य दो सहअभियुक्तगण, जिनको जमानत पर मुक्त किया जा चुका है, वे केवल वाहन में बैठे हुए थे। प्रार्थी के विरुद्ध गंभीर अपराधों का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध धारा 281, 125(ए), 105 भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 134, 187, 184 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के गम्भीर अपराधों का अभियोग है। प्रार्थी–अभियुक्त पर आक्षेप है कि उसके द्वारा गाड़ी/वाहन संख्या एचआर 51 एडब्ल्यू 0142 को लापरवाहीपूर्वक चलाकर परिवादी के भाई की मोटरसाईकिल को पीछे से टक्कर मारी है, जिससे परिवादी के भाई,`ाभी और भतीजी को इस घटना में चोट कारित हुई है और उसके पश्चात् परिवादी के भाई विष्णु और उसकी तीन वर्ष की भतीजी सृष्टि की मृत्यु हो गई। प्रकरण में हुए अनुसंधान से प्रकट हुआ है कि घटना के दिन ही प्रार्थी/अभियुक्त ने इस वाहन को अत्यन्त खतरनाक तरीके (imminently dangerous) से चलाकर मोटरसाईकिल को टक्कर मारी, जिससे उस पर सवार परिवादी के भाई विष्णु एवं उसी तीन वर्षीय भतीजी की मौके पर मृत्यु हो गई एवं भाभी के गम्भीर चोटें आईं। घ्ज्ञटना से पहले भी प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अंधाधुंध तरीके से वाहन को इसी मार्ग पर चलाकर चार–पांच लोगों को टक्कर मारी है जो घायल हुए हैं। घटना में आकाश गुर्जर नामक व्यक्ति की भी मृत्यु हुई है, इस तरह से घटना में कुल तीन लोगों की मृत्यु हुई है तथा तीन लोगों के चोटें कारित हुई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा यह जानते हुए कि जिस स्थान व सड़क वह पर तेज गति से जा रहा है, वह व्यस्त रोड है और वहां दुर्घटना कारित होने पर वाहन चालक व वाहन पर बैठे अन्य व्यक्तियों की मृत्यु होने की संभावना है, उसके

बावजूद अत्यंत खतरनाक (imminently dangerous) तरीके से गाड़ी को चलाया है। इस तरह से प्रकरण केवल लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने का नहीं है, बल्कि अत्यंत खतरनाक तरीके से वाहन चलाने से संबंधित है। अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

41/NIMIT GOYAL